न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 56/2014

अपीलांट

1. मयूरपाल सिंह पुत्र श्री पीर सिंह जी जाति पुरोहित, निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. रूप सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
2. वरदी सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
3. नरपत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह

   जातिगण पुरोहित, निवासी बसंत, तहसील सुमेरपुर, जिला पाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नरपत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.09.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2006 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बसंत के खसरा नंबर 429 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि को अपीलार्थी के पिता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को दिनांक 11.05.2000 को अवैध रूप से बिना आधिपत्य के ही पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय कर दी, जबकि भौतिक रूप से कब्जा काश्त तत्समय से आज दिंनाक तक अपीलाण्ट व उसके परिवार का ही चला आ रहा है। उपरोक्त वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन पेश किया था, जिसकी कार्यवाही पूर्व में राजस्व मण्डल में विचाराधीन थी और तत्समय राजस्व मण्डल द्वारा यथास्थिति बाबत आदेश पारित किया गया था। दौराने वाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत एक आवेदन धारा 212 आर. टी. एक्ट एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत पेश किया था। तत्पश्चात बिना किसी कारण के दिनांक 25.02.2009 को वकील अपीलाण्ट की ओर से रिलिफ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होना दर्ज करते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया। प्रकरण को मैरिट पर तय किया जाना आज्ञापक था। फिर भी मैरिट पर तय नही करते हुए जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रिसीवर आदेश को माफिक आवेदन स्वीकार किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित - प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बसन्त के खसरा नंबर 429 रकबा 0.50 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हुई। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की जो अपीलाण्ट की अपील दिनांक 15.07.2002 को श्रीमान की न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की है। जो निगरानी माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन है। अपीलाण्ट के पिता ने रेस्पोडेण्ट को दिनांक 11.05.2020 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 429 में सें 0.50 हैक्टर की भूमि रेस्पोडेण्ट को विधिवत बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट कभी खातेदार नही रहा है। न ही अपीलाण्ट का कब्जा रहा है। रेस्पोडेन्टगण को अपने रेकर्डेड हिस्से का उपयोग–उपभोग करने का पूर्णतया अधिकार है, जिसे प्रतिबंधित किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बसन्त के खसरा नंबर 429 रकबा 0.50 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, तथा उक्त वाद के समर्थन में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी रिवीजन राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी संख्या 3/2002 में आदेश दिनांक 06.08.2002 के तहत अन्य आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। इसके अतिरिक्त अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट संपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 429 रकबा 18 बीघा भूमि में से अपीलाण्ट के पिता के हिस्सा की 6 बीघा भूमि को वाद के निर्णय तक कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.02.2009 को अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर जैर अपील आदेश पारित किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में जिन बिन्दुओं को रेखाकिंत किया उसमें मुख्य बिन्दु यह है, कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मैरिट पर तय नही करते हुए जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किए गए उक्त बिन्दु के परीक्षण हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2009 में अंकित किया गया है कि यह प्रकरण वर्ष 2004 से आर.टी.एक्ट की धारा 212 के तहत लम्बित है। वकील प्रार्थी को इस स्टेज पर 212 आर.टी.एक्ट के तहत रिलीफ की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है।'' हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? इस संबध में "2009(1) RLW RJ 500: 2009 RRD 351 में प्रतिपादित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित–प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है कि When temporary injunction would save the purpose receiver should not be appointed" इसी प्रकार से न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा 2016–17(supp.) RRT 316 संन्नो देवी बनाम विध्या देवी में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भूमि के खातेदार को रिसीवर नियुक्त करके बेदखल नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 429 रकबा 2.90 हैक्टर में से बकोल अपीलाण्ट उसके पिता का हिस्सा 6 बीघा आता है, भूमि मौके पर संयुक्त शामलाती है, अतः यह भी स्पष्ट नही होता है किस विशेष भू–भूभाग पर रिसीवर की नियुक्त हो। उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी अधिकारो के संबंध में विवाधक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय होने है। हमारे विनम्र मत में रिसीवर की नियुक्ति कर रिकार्डेड खातेदारो को बेदखल करना कठोरतम उपाय है, जिसका अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बहुत ही सावधानीपूर्वक एवं आत्यंतिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2006 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2009को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली
पाली